संख्या-246/2015/2781जेएल/22-3-15-8सी0क्यू0/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2015***

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध एवं गम्भीर बीमारियों से पीड़ित बंदियों को इलाज हेतु बाहर ले जाने के लिये पुलिस गार्द उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3049/छ:-पु0-97-700(9)/97, दिनांक 11-08-1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि कारागारों में निरूद्ध कैदियों को समुचित उपचार प्रदान किये जाने हेतु जिला कारागार अधीक्षकों द्वारा जब भी पुलिस गार्द की मांग की जाय, उनकी आवश्यकता अनुसार पुलिस गार्द तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय। शासन के संज्ञान में एक प्रकरण ऐसा आया है, जिसमें गम्भीर रोगों से ग्रसित बंदियों के इलाज हेतु वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा पुलिस गार्द की मांग करने पर पुलिस गार्द उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह उचित नहीं है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध एवं गम्भीर बीमारियों से पीड़ित बंदियों को कभी-कभी समय से समुचित इलाज के न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बंदी के आश्रितों को अन्तरिम सहायता प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते है। इससे जहां एक ओर शासन को आर्थिक क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर कारागार प्रशासन विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह भी लगाये जाते है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस गार्द के अभाव में बंदियों को बाह्य चिकित्सालय भेजने पर उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होने का खतरा बना रहता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध एवं गम्भीर बीमारियों से पीड़ित बंदियों को इलाज हेतु बाहर ले जाने के लिये जब भी वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार द्वारा पुलिस गार्द की मांग की जाय, उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्काल पुलिस गार्द उपलब्ध करा दिया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-246/2015/2781जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ0प्र0।
5- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/जिला कारागार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।